कार्यालय मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट
मध्यप्रदेश शासन, गृह–विभाग
(गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भवन, भोपाल)

विषय :– वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2015–2016.

1. विभागीय संरचना :–

भारत सरकार द्वारा वर्ष–1964 के गठित सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की यह अपेक्षा थी कि देश में प्रत्येक राज्य में मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना इस लिए की जाये कि पूरे देश में मेडिकोलीगल का कार्य बहुत ही निम्न स्तर का था। जिसे उपर उठाया जाये । अतः उस समय की सिफारिश के अनुसार वर्ष–1977 में मध्यप्रदेश शासन को भोपाल में देश का प्रथम मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना का श्रेय प्राप्त हुआ । **इस संस्थान की स्थापना के समय से कुल स्वीकृत पदों की संख्या–53 है ।**

मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल के लिए स्वीकृत पदों का सेट–अप/पदों का विवरण :–

क्रमांक.	संवर्ग/ पद नाम.	स्वीकृत पदों की संख्या.	भरे पदों की संख्या.	रिक्त/खाली पदों की संख्या.
1.	स्ंचालक	01	01	––
2.	संयुक्त संचालक/प्राध्यापक	01	01	––
3.	सीनियर फोरेन्सिक स्पेशालिस्ट :–			
	1– मेडिकल.	01	01	––
	2–नॉन–मेडिकल.	01	01	––
4.	जूनियर फोरेन्सिक स्पेशलिस्ट :–			
	1– मेडिकल.	03	01	02
	2–नॉन–मेडिकल.	01	01	––
5.	मेडिकल ऑफीसर :–			
	1–मेडिकल.	07	03	04
	2–नॉन–मेडिकल.	04	04	––
6.	प्रशासनिक अधिकारी.	01	01	––
7.	कार्यालय अधीक्षक	01	01	––
8.	शीघ्रलेखक	02	01	01
9..	उच्च श्रेणी लिपिक/सहायक ग्रेड–2.	01	01	––
10.	कैशियर	01	01	––
11.	स्टोर–कीपर/भण्डारी.	01	01	––
12.	सहायक ग्रेड–3.	02	00	02
13.	फोटोग्राफर–कम–आर्टिस्ट.	01	01	––
14.	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	03	––
15.	प्रयोगशाला सहायक.	03	03	––
16.	वाहन–चालक/ड्राईवर.	01	01	––

17.	प्रयोगशाला परिचारक.	03	03	——
18.	दफ्तरी.	01	——	01
19.	ज्मादार.	01	01	——
20.	भृत्य/चपरासी.	05	05	——
21.	स्वीपर नियमित.	04	04	——
22.	स्वीपर–जिलाध्यक्ष दर पर .	02	02	——
23.	चौकीदार–जिलाध्यक्ष दर पर.	01	01	——
योग	कुल पदों का योग	53	43	10

2. विभाग के दायित्व :–

1. मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से सन्दर्भित किये गये मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट मत देना तथा सन्दर्भित किये गये शवों का शव परीक्षण करना ।

2. फोरेन्सिक मेडिसिन विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन में सहायक होना ।

3. न्यायालयिक, कार्यपालिक, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य अत्यन्त निकट का सामनजस्य बनाये रखना तथा अपराध, हत्या, बलात्कार,, आदि प्रकरणों में उपयुक्त परामर्श देना ।

4. पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचाारियों , न्याय विभाग के न्यायाधीशों , लोक अभियोयजन अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक शल्य चिकित्सकों के अधिकारियों को मेडिकोलीगल विषय में समुचित प्रशिक्षण देना ।

5. अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना ।

6. घटना स्थलों का निरीक्षण करना ।

7. इस संस्थान में सभी प्रकार की अनुसंधान की प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं । जिसमें मुख्य रूप से फोरेन्सिक एनथ्रोपोलॉजी, एन्टोमोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी तथा डॉयटम–टेस्ट आदि से संबंधित अनुसंधानात्मक प्रयोगशालायें हैं । इसके अतिरिक्त अपराध की पुर्नरचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाता है

क्रमशः––3–– पर..

8. इस संस्थान में सभी प्रकार की अनुसंधान की प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं । जिसमें मुख्य रूप से फोरेन्सिक एनथ्रोपोलॉजी, एन्टोमोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी तथा डॉयटम–टेस्ट आदि से संबंधित अनुसंधानात्मक प्रयोगशालायें हैं । इसके अतिरिक्त अपराध की पुर्नरचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाता है ।

9. मेडिकोलीगल संस्थान, मध्यप्रदेश , भोपाल में टॉक्सीकोलॉजी, विष विज्ञान प्रयोगशाला में विसरा जॉच विश्लेषण एवं विष/जहर की जॉच की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा चुकी है ।

3.विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताऐं :–

इस संस्थान में मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट–मत देना, शवों का शव–परीक्षण करना, अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना एवं इस विषय से संबंधित अन्य प्रमुख कार्य विशेष रूप से किये जाते हैं । इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों एवं सहायक शल्य चिकित्सकों को मेडिकोलीगल विषय में समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

4. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय (01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक गत एक वर्ष तक की प्रमुख उपलब्धियॉ) :–

वर्ष–2015–16 में दिनांक 01–01–2015 से 31–12–2015 तक 2837– शव–परीक्षण किये गये , जबकि मेडिकोलीगल एक्सपर्ट ओपीनियन के कुल–122, प्रकरण प्राप्त हुए एवं इसी अवधि में मेडिकोलीगल प्रकरण जैसे :– इन्युरी, उम्र की जॉच, बलात्कार की जॉच एवं सेक्स आदि के कुल–346, प्रकरण प्राप्त हुए । हिस्टोपैथोलॉजी के कुल–960 प्रकरण ,डॉयटम टेस्ट के कुल–1138, प्रकरण तथा एन्टोमोलॉजी के कुल–14 प्रकरण, विसरा जॉच विश्लेषण के कुल–228, प्रकरण जॉच एवं वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार उक्त अवधि में कुल–5645 प्रकरण संस्थान को प्राप्त हुए हैं ।

5. मेडिकोलीगल प्रशिक्षण संबंधित जानकारी :–

1. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु वर्ष–2011–2014 में 10 मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्र मेडिकोलीगल संस्थान में आयोजित किये गये थे , जिसमें लगभग 300 न्यायिक अधिकारियों ने मेडिकोलीगल प्रशिक्षण का लाभ उठाया ।

क्रमशः– 4 – पर.

2. समय–समय पर राज्य सेवा के उप जिलाधीशों, उप पुलिस अधीक्षकों, लोक अभियाजकों, सहायक लोक अभियोजकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में मेडिकोलीगल प्रशिक्षण, संस्थान द्वारा नियमित रूप से दिया जाता है ।

3. संस्थान के संचालक महोदय द्वारा सम्भागीय मुख्यालयों पर जाकर पुलिस अधिकारियों को मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया गया है एवं मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल में सम्भाग/जिला/तहसील स्तर के अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को भी नियमित रूप से मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया जाता है ।

4. संभाग स्तर पर लोक स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को भी मेडिकोलीगल विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

5. आगामी वर्ष में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सक एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समूचे प्रदेश के चिकित्सकों को विभिन्न समूहों में संस्थान में आकर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण देने की योजना है ।

2. विभागीय पदौन्नतियों, विभागीय जॉच, विभागीय नियुक्तियॉ , स्थानान्तरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी :–

1. संस्थान अन्तर्गत रिक्त सीधी भरती से भरे जाने वाले मेडिकल ऑफीसर (मेडिकल) के 04 पदों पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं शासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जबकि मेडिकल ऑफीसर (नॉन–मेडिकल) के 02 पदों पर नियुक्तियॉ हो गयी हैं । ये सभी पद सम्मिलित रूप से सामान्य एवं बैकलॉग अन्तर्गत आरक्षित वर्ग के थे । संस्थान के अराजपत्रित संवर्ग में रिक्त कैशियर/रोकड़िया के पद पर मह दिसम्बर, 2015 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर उक्त पद पर पदोन्नति की जा चुकी है ।

2. संस्थान में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्गों के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय जॉच का प्रकरण लंबित/विचाराधीन नहीं है ।

3. मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल का संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय स्थित/कार्यरत नहीं है । अतः स्थानान्तरण से संबंधित संस्थान की जानकारी निरंक रहेगी ।

क्रमशः –5–पर..

4. न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में वर्तमान् स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में 04 प्रकरण लंबित हैं । सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर प्रकरणें में जवाबदावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं । किसी भी प्रकरण में शासन के विरूद्ध कोई भी अभियुक्ति/निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है ।

भाग–दो

1. बजट विहंगावलोकन/ दृष्टि में :–

वित्तीय बजट वर्ष–2014–2015 (01–04–2015 से 31–03–2015) में इस संस्थान लिए रूपये–2,93,12,000/– का बजट राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से रूपये–2,60,39,740/– का व्यय किया गया एवं रूपये–32,72,260/– की राशि शासन को समर्पित की गयी ।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशान विभाग मंत्रालय के प्रष्ठांकन क्रमांक 811/639/2015/1/9 दिनांक 08–05–2015. के परिपेक्ष्य में जेन्डर बजट से संबंधित संस्थान की जानकारी निरंक रहेगी ।

बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय/योजना वार :–

यह संस्थान एक नॉन–प्लॉन/आयोजनेत्तर विभाग है ।

सारांश :–

इस सस्थान द्वारा सहायक शल्य चिकित्सकों, न्यायिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेडिकोलीगल विषय में महत्वपूर्ण बिन्दुओं से संबंधित इस संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्तमान् में संस्थान के संचालक महोदय एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में मेडिकोलीगल प्रशिक्षण एवं जिला स्तर पर पुलिस कर्मियों एवं चिकित्सा अधिकारियों को संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

वर्ष–2015 में इण्डियन ऐकेडमी ऑफ फोरेन्सिक मेडिसिन की 36वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंन्स माह–जनवरी, 2015 में चैन्नई (तामिलनाडू) में आयोजित हुई । उक्त कॉन्फ्रेंन्स में संस्थान के संचालक चेयरपर्सन के रूप में आमंत्रित थे एवं उनके द्वारा शोध–पत्र भी प्रस्तुत किये गये ।

वर्ष 2016 में इंडियन ऐकेडमी ऑफ फोरेन्सिक मेडिसिन की 37वीं वार्षिक कॉन्फ्रेन्स जो हाल ही में माह जनवरी 2016 में अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित हुई थी । उक्त कॉन्फ्रेन्स में संस्थान के संचालक चेयर पर्सन के रूप में आमंत्रित थे एवं उनके तथा अन्य अधिकारी द्वारा शोध–पत्र भी प्रस्तुत किए गए ।

क्रमशः पृष्ठ–/6/– पर

मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल एक आयोजनोत्तर/नॉन–प्लॉन विभाग है, इसके अतिरिक्त संस्थान अन्तर्गत कोई भी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना /कल्याणकारी योजना आदि स्वीकृत नहीं है । संस्थान का संभाग/ जिला/ तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नहीं है ।

संचालक
मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट.
मध्यप्रदेश, भोपाल
दूरभाष–0755–2540588.